अभियुक्तों के खिलाफ तो कार्यवाडी करें डी, श्री मधेश मार्गव को तुप्ति सुरक्षा प्रवान करने का काम भी करे।

श्री चतुरानम मिश्र (जिंहार): मैं इस मामले के साथ अपने आप को एसोसिएट करता हूं।

SHRI INDER KUMAR GUJRAL (Bihar): Madam, I want to associate myself with Shrimati Sushma Swaraj. It is a matter of graye concern that a thing like this should happen. Since there is President's rule in Uttar Pradesh and this thing has happened there. I do hope that the Home Minister will take immediate action and will inform the House that he has not only given protection to journalists but also seen to it that those who are responsible for it are brought to book immediately.

श्री शंकर बयाल सिंह: *

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not allowing. I have not permitted it. I have permitted you to raise the Karnataka issue. Don't take advantage of it.

न्नी शंकर दयाज सिंह (बिहार): मैं बिना परमिश्नन के बोल रहा हूं।

उपस्थापति : मैं खापको बिना परमिशन के बोलने नहीं ट्रंगी । I am not allowing.

शंकर दयाल सिंह जी, खाप मुझे माफ करेंगे। यह श्रें अफसोस की बात है, लाफ ना हस चंयरमेन भी हैं, यह तो खुणीं की बात है, लेकिन उफसोस की बात यह है कि खाप नियमों का उल्लंघन करेंगे तो नियमों का पालन कीन करेगा? आपसे मेरी यह बात हुई थी और यह खाइवासन भी दिया था कि हमारे जो हाउस से, राज्य समा से संबंधित, राज्य समा के चेयरमैन, उसके प्रेजाइडिंग आफिसर और उसके स्टाफ के मामले हाउस में नहीं उठाते हैं जब इस तरह का कोई गम्भीर मामला उठाना है । इसलिए मैं इस तरह की अनुमति नहीं हुंगी । किसी भी सिलसिले में कुछ हमारी गरिमा है और कोई उस गरिमा का उल्लंघन करता है, उसकी बेहज्जती करता है तो उसको में एलाऊ नहीं करूंगी । में जब आपके सामने प्रेजाइड करूं तो हाउस की बेहज्जती के मामले उठाने नहीं हुंगी । खाप कर्नाटक के मारे में जबर बोलिये।

डी शंकर दयाल सिंड: मैं तो आयकी बात मानता हूं। आपने यह मी कहाया कि किसी का नाम मत लीजिये। मैं नाम किसी का नहीं ले इहाई। उपसमापति: अब आप बहस मत करिये।

श्री शंकर दयाल सिंह: लेकिन इस मसले पर ...

उपसमापति : बहस न करें : आपको कर्नाटक के बारे में नहीं बोलना है तो मत बोलिये ।

श्री शंकर वयात सिंह: महोदया, मुझे प्रसन्नता है कि आपने मुझे जीएं त्यावर में बोलने का मौका दिया है। खमी कुछ दिन पहले(ध्यवधान)...

श्री बहसदेव आनन्त् पासवान (बिहार): महोदया, मैं कहना अल्ला हूं कि बहस यहां नहीं करेंगे तो कहां करेंगे ?(अयवधान)....

उपस्थमायकि : यादव जी, आप नये मेंबर हैं । मुझे यकीन है कि आप थोड़े दिनों हाउस में रहेंगे तो सीख जायेंगे । नहीं सीखेंगे तो हमारे पास आ जाये, आपको किताब बता देंगे । अभी बैठ जाड़ये ।

बी बहमदेव आनन्द पासवान: नये मेंबरों के पुराने मेंबरों से कम अधिकार बनते हैं क्या ? नये मेंबरों के अधिकार कम हैं क्या, यह हमको बता दीजिये।

उपस्थमापति: यह दूसरा अलग मामला है। क्यापको मालुम नहीं है कि किस बात पर बात हो रही है।

RE. PROVIDING THE STATUS OF STATE OFFICIAL LANGUAGE TO KANNADA IN KARNATAKA.

बी शंकर द्यात सिंह (बिहार) : महोदया, श्रुन्य काल में यह मामला उठाते हुए मुझे प्रसन्तता हो रही है । अभी कुछ दिन पहले कर्नाटक सरकार ने—15 खगस्त से कर्नाटक में कन्नड को जो पतिष्या है है और एक भारतीय भाषा को जो पतिष्या है है और ऐलान किया है कि कर्नाटक में सारा काम कन्नड में होगा. अंग्रेजी में नहीं होगा, इसके लिये मैं सदन की ओर से, देश की ओर से उनको घन्यवाद देना चाहता हूं । साथ ही मैं यह घी चाहता हं कि खाठवें शैड़यूल में जो मारतीय माषायें हैं, उनकी संख्या ताब 18 हो गयी है, इनको भी इस तरह की प्रतिष्ठा तापने नेनों में मिलनी चारिये। बा एक 11उप में जो बना की फाला है उसको इसी तरह से प्रतिष्ठित होना चाहिये । इसलिये में चाहता है कि जो कदम मोली सरकार ने, कर्नाटक की सरकार ने उठाया 🖁 उसका सदन स्वागत करे । भारतीय पाषाओं की बात प्राय: इस सदन में उठती है क्योंकि भारतीय भाषाओं को एक विदेशी भाषा के नीचे दबना पड़ता है । यह ख़ुशी की बात है कि कर्नाटक सरकार ने इस तरह का कदम उठाया है।(व्यवधान)....

स्री विरिष्वजय सिंह (बिहार): मैडम, होम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, उनको कहा जाय कि वे रूक जायें उनके रूकने के लिये कहा जाय, वे जा रहे हैं।

बी शंकर दयाल सिंह : मैडम, इसके साथ ही मैं एक बाट

[&]quot;Not recorded.

और कहना चाहता हूं। यह संविधान की कापी है। आटवें शैद्यूल में चव्हाण साहब यहां बैठे हुए हैं(व्यवधान)....

उपसमापति : आर्डर प्लीज ।

श्री शंकर दयाल सिंह: गुरूदास गुप्ता जी पहले हमारी बात होने दीजिये। ... (क्यवचान)... गृह मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं ... (क्यवचान)... गृह दस गुप्ता जी, जरा हम लोगों की बात होने दीजिये। ... (क्यवचान)... यह मारत का संविधान है। यह संविधान की कापी हम लोगों के टेबल के पास पड़ी रहती है और किसी भी बात के लिये हम इसको उलटते हैं। आज से 6 महीने पहले आठवें अंड्यूल में तीन माषाओं का समावेश मारत के संविधान में किया गया है, क्रेंकणी, मणीपुरी और नेपाली। लेकिन यहां पर जो संविधान की कापी है उसमें इन माषाओं को दर्ज नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि यहां जो संविधान की प्रति रहे उसमें जो भी संशोधन हों, उनको टाइप करके इसमें चिपका देना चाहिये, पह बहत आवश्यक है।

उपसमापति: चिपका देना।

सैयद सिख्ते रूपी (उत्तर प्रदेश): महोदया, हन्होंने पो मेंशन किया है उससे में अपने आपको एसोसियेट करता हूं और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है जब हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी की भी वही प्रतिष्ठा होनी चाहिये जो अन्य देशों में उनकी भाषाओं की है। इसके लिये यह समय बड़ा उपयुक्त है, देश का मिजाज ऐसा बन रहा है। केंद्र सरकार को इस सिलसिले में पहल करनी चाहिये। ऐसा लगता है कि अंतरराष्ट्रीय जगत में हम गूंगे हैं क्योंकि हमारी कोई भाषा ऐसी नहीं है जिसको हम विदेशों में जाकर बोल सकें इस के लिये हिन्दी को इस स्थान पर प्रतिष्ठित किया जाना चाहिये, हिन्दी को उसका मुकाम मिलना चाहिये।

تشری سیدسیط رضی: مهودید- امغول نے جوئینش کیا
ہے اس سے میں اسینے آپ کو ایسوسی ایسٹ کرتا ہوں
اور میں یہ بھی کہنا چا ہتا ہوں کہ اب سے آگیا ہے
میب ہماری راشٹر ہماشا ہندی کی بھی وہی پرتشرہ ا مہون چا ہیے جوائے دیشوں میں اٹکی مجانشاؤں
کی ہے۔ اس کے لیے یہ سے بڑا ابیکست ہے۔
دیش کا مزاج ایسا بن رہا ہے۔ کیندر سرکاد کو
اس سیلسلے میں بہل کرن چا ہیے ایسا اگتا ہے
کہ انتر راشٹر یہ جگست میں ہم گونگے میں کیونکم ہاری کو ل^ا بھاشا ایس نہیں ہے جس کو ہم ودیشوں ہیں جاکر بول سکیں۔ اس کے بیے نہ^{یں۔} کو اس استھان ہر پرتشٹھٹ کیا جا ناچاہیے سندی کو اس کا مقام ملنا جا ہیے۔

in Arunachal Pradesh

श्री विष्णुकान्त शास्त्री (उत्तर प्रदेश): मैं इसके साथ उपने को समद करता हुं।

श्री बहमदेव आनन्द पासवान (बिहार) : अंघकार है वहां जहां आदित्य नहीं है । मुद्दां है वह देश जहां साहित्य नहीं है । साहित्य अच्छा होना चाहिये ।

उपसमापित: जो कोई भी कास्टिट्यूशनल अमें डमेंट हो उसको आप टाइप करके जो कापी चेंबर में है उस पर लगा हैं। शंकर दयाल सिंह जी ने जो बात की है Let's take care of it.

RE. SETTLEMENT OF CHAKMAS IN ARUNACHAL PRADESH

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBED-KAR (Nominated): Madam, I am raising one of the important issues, which is a fall-out of the partition of India. The Chakma issue is now taking a new turn and even the Arunchal Pradesh Chief Minister has gone on record saying that about 30 to 40 people, who have been identified, had crossed the border for training and that he anticipated that after their training was over there would be violent clashes between the Chakmas and the other people who had settled down in Arunachal Pradesh. The total population of Arunachal Pradesh is about 1,20,000 of which nearly 66,000 are Chakmas. These Chakmas have been given a valid certificate for resettlement when they came over here in 1961 and 1964. I am asking the hon, Home Minister to look into the mattet, as there is already an assurance which has been given in the other House through answer to an Unstarred Question that the question of granting citizenship to the Chakmas would be looked into. And even to one of the correspondents, the Government has categorically assured that citizenship would be given to them. The question that remains now is the issue of settlement. The people living in Arunachal Pradesh have been agitated because when this agreement was reached, Arunachal Pradesh was a part of Assam and there was no

^{†[]} Transliteration in Arabic Script.